

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 599]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 नवम्बर 2020 — कार्तिक 27, शक 1942

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 नवम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-108/गृह-सी/2017. — छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2006) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-108/गृह-सी/2017, दिनांक 14 नवम्बर, 2020 में वृद्धि करते हुए “जे. जे. एम. पी. (झारखण्ड जन मुक्ति परिषद्)” को पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिए विधि विरुद्ध संगठन के रूप में घोषित करती है.

यह अधिसूचना दिनांक 15 नवम्बर, 2020 से एक वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ में प्रवृत्त रहेगी.

F. No. 4-108/Home-c/2017. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Visesh Jan Suraksha Adhiniyam 2005 (No. 14 of 2006), the State Government hereby, extends the notification of this Department No. F-4-108/Home-c/2017, dated 14 November, 2019 and declares “J.J. M. P. (Jharkhand Jan Mukti Parisad)” Organisation as Unlawful Organisations for a further period of one year.

This Notification will remain in force for one year in Chhattisgarh with effect from 15 November, 2020.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, संयुक्त सचिव.